न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 210/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/186

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
राजू दत्तकपुत्र देराम जाति कलबी निवासी वेरा सिरोला असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.दीनदयाल पुत्र देवाराम जाति कलबी 2.गुणेशाराम पुत्र पुनमा जाति दरोगा के वारिसान 2/1.बाबुसिंह पुत्र गुणेशाराम 2/2 भट्टसिंह पुत्र गुणेशाराम जाति दरोगा 3.धुसाराम पुत्र प्रहलादराम जाति कलबी 4.नेमाराम पुत्र प्रहलाद जाति कलबी 5.पाबुदेवी पत्नी देवाराम जाति कलबी 6.पोलाराम पुत्र प्रहलाद जाति कलबी 7.मगना पुत्र हीरा के कायम मुकाम 7/1 पोलाराम पुत्र मगनाराम जाति कलबी 8.राणा पुत्र पुनमा के कायम मुकाम 8/1 खंगारसिंह पुत्र राणाराम 8/2 मदनसिंह पुत्र राणाराम 8/3 नेमसिंह पुत्र राणाराम 8/4 नरपतसिंह पुत्र राणाराम जाति रावणा राजपूत 9.सुराराम पुत्र कोजाराम जाति कलबी 10.सेलाराम पुत्र हीराराम जाति कलबी 11.सांवलाराम पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी वेरा सिरोला असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 12. सरपंच ग्राम पंचायत असाड़ा 13.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री प्रेमसिंह सिसोदिया व श्री स्वरूपसिंह चौहान अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2/1 व 8/1 से 8/4

3.विप्रार्थी संख्या 1 व 2/2 से 7/1 व 9 से 13 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 22/12/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम असाड़ा पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 0.9227 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2013/1042 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर, खसरा संख्या 2014/1044 क्षेत्रफल 0.7851 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम असाड़ा पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 0.9227 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2013/1042 क्षेत्रफल 0.7284, खसरा संख्या 2014/1044 क्षेत्रफल 0.7851 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह सिसोदिया व श्री स्वरूपसिंह चौहान द्वारा विप्रार्थी संख्या 2/1 व 8/1 से 8/4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा उक्त विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2/2 से 7/1 व 9 से 13 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम असाड़ा पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 0.9227 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2013/1042 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर, खसरा संख्या 2014/1044 क्षेत्रफल 0.7851 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम असाड़ा पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 0.9227 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2013/1042 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर, खसरा संख्या 2014/1044 क्षेत्रफल 0.7851 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। प्रार्थी की खातेदारी के खसरा संख्या 2014/1044 व 2013/1042 के मूल खसरा संख्या 1044, 1042 व 1043 थे। जो भूमि प्रार्थी व उसके सहखातेदारी की संयुक्त खातेदारी भूमि का थी,जिसमें विप्रार्थी संख्या 08 सहखातेदार थे। जिसका आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा होने जाने से वर्णित भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई तथा अलग से बट्टा में दर्ज हुई। उपरोक्त खसरो के मूल खातेदारो व विप्रार्थीगण संख्या 02 व 08 के मध्य खेत की सीमा को लेकर कभी किसी प्रकार वाद–विवाद नहीं रहा। विप्रार्थी संख्या 02 व 08 के कायम मुकाम प्रार्थी के पड़ौसी अवश्य है,मगर विप्रार्थी संख्या 02 व 08 के द्वारा व उसके कायम मुकाम द्वारा कभी भी प्रार्थी की भूमि पर अवैध व अनुचित तरीके से जबरन दबाव बनाकर हड़पने का प्रयास नहीं किया। प्रार्थी व उसके पूर्व सहखातेदारो के बीच उपरोक्त खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में विप्रार्थीगण संख्या 02 व 08 के पूर्व खातेदार व वर्तमान उनके कायम–मुकाम के बीच कभी भी खेत की सीमाओ को लेकर वाद विवाद नहीं रहा,न ही कभी विप्रार्थीगण संख्या 02 व 08 के द्वारा प्रार्थी की खेत की सीमा बाबत खडी माठो को तोड कर नष्ट करने तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अतिकमण करने का प्रयास नहीं किया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान तहसीलदार, पचपदरा से सीमाज्ञान बाबत कोई आदेश करवाया है,तो इसकी जानकारी विप्रार्थी संख्या 02 व 08 के कायम–मुकाम को नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के संबंध में श्रीमान तहसीलदार, पचपदरा के आदेश की पालना बाबत राजस्व अधिकारी कभी मौके पर नहीं आये,न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट तैयार की है। केवल मात्र कार्यालय में बैठकर सीमाज्ञान बाबत रिपोर्ट तैयार करते हुए उसका आधार लेते हुए श्रीमान के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है। जबकि प्रार्थी के खातेदारी खेत के पड़ौस में ही विप्रार्थी संख्या 02 की खसरा संख्या 2347/1045 रकबा 2.3067 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 2017/1044 1.6592 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2348/1045 रकबा 0.3723 भूमि अवश्य आयी हुई है। जहां विप्रार्थी संख्या 02 व 08 के कायम–मुकाम द्वारा अपने व अपने बच्चो की आवश्यकता अनुसार पक्की रहवासीय मकान बनाये हुए है तथा उनका केवलमात्र उक्त खातेदारी भूमि ही रहवास के लिए है अन्य कोई जगह रहवास के लिए नही है,जो रहवासीय मकानात कई वर्षो पूर्व बनाये हुए है। प्रार्थी के खातेदारी खेत के पड़ौस पूर्व की तरफ खसरा संख्या 2024/1054 रकबा 51.5407 हैक्टेयर की भूमि स्थित है,जो राजस्व रेकर्ड में भूमि की किस्म गैर–मुमकिन गौचर के रूप में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी ने कई वर्षो से कब्जा कर रखा है तथा उक्त

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरे की भूमि पर अनार की फसल बो रखी है। प्रार्थी ने पड़ौस में स्थित गौचर भूमि पर कब्जा करने की लालचा लेकर पूर्व आपसी बंटवाड़ा के समय अपने हिस्से में उक्त खसरे की भूमि के नजदीक वाला हिस्सा प्राप्त किया। खसरा संख्या 2024/1054 रकबा 51.5407 हैक्टेयर की भूमि पर वह कहीं वर्षो से कृषि कार्य करता आ रहा है,मगर वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा रि–सेटलमेन्ट कार्यकम चलने की जानकारी होने पर उसे खसरा संख्या 2024/1054 रकबा 51.5407 हैक्टेयर की भूमि खाली करवाने की आंकाक्षा को देखते हुए व पडौसी खातेदारो को तंग व परेशान कर रूपये एठने के लिए मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम असाड़ा पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 0.9227 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2013/1042 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर,खसरा संख्या 2014/1044 क्षेत्रफल 0.7851 हैक्टेयर,भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। इसके विपरीत विप्रार्थी पक्ष द्वारा बहस मे मुख्य उजर उठाया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थी के बीच सेढो को लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थी पक्ष केवलमात्र उक्त आवेदन की आड़ मे विप्रार्थी की भूमि को हड़प करना चाहते है,इस कारण आवेदन खारिज किया जावे। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 03.06.2025 की प्रमाणित प्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा/सहायक भू अभिलेख एवं पदेन सहायक भू प्रंबध अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम असाड़ा पटवार हल्का असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1043 क्षेत्रफल 0.9227 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2013/1042 क्षेत्रफल 0.7284,हैक्टयर व खसरा संख्या 2014/1044 क्षेत्रफल 0.7851 हैक्टेयर भूमि की रि—सेन्टलमेंट सर्वे के दौराने उभय—पक्षकारान की उपस्थिति मे विवादित भूमि की नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

22/12/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22/12/2025 लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

22/12/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा